

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-रकीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 43196

दिनांक :- 08/08/17

आदेश

राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार नगरीय निकायो को उपापन संस्था के रूप मे रजिस्ट्रेशन करने के लिए निदेशालय स्तर पर श्री अरविन्द मोहन, संयुक्त निदेशक (एसए) को नोडल अधिकारी नियुक्त जाता है। श्रीमति नीलिमा खिरवार, प्रोग्रामर उक्त कार्य मे श्री अरविन्द मोहन के सहायक के रूप मे कार्य करेगी।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 08/08/17

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 43197-43404  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (G&T), वित्त विभाग।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
6. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. श्री अरविन्द मोहन, संयुक्त निदेशक (एसए), निदेशालय को भेजकर लेख है, कि विभागीय नोडल अधिकारी हेतु एसपीपीपी-2 फार्म वित्त विभाग मे प्रस्तुत कर कार्यवाही करावे।
9. श्री आमप्रकाश काला, सहायक अभियन्ता, निदेशालय को भेजकर लेख है, कि एसपीपीपी सम्बन्धित पत्रावली संयुक्त निदेशक (एसए) निदेशालय को हस्तांतरित करावे।
10. श्रीमती नीलिमा खिरवार, प्रोग्रामर, निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)

मुख्य अभियन्ता